



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092026-276471
CG-DL-E-24092026-276471

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948

No. 261]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2026

सं. 30/2026-27

विषय: 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के आयात के लिए आवंटित अप्रयुक्त टीआरक्यू मात्रा के अभ्यर्पण के लिए समय सीमा के विस्तार के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/43/एम-26/पीसी-2(ए)/[ई-47388].— विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी) 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सार्वजनिक सूचना संख्या 27/2026-2027 दिनांक 20.08.2026 के क्रम में, विदेश व्यापार महानिदेशालय एतद्वारा टीआरक्यू के तहत कच्ची चीनी के आयात के लिए आवंटित अप्रयुक्त टीआरक्यू मात्रा के अभ्यर्पण के लिए उक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 5 के तहत निर्धारित समय सीमा का विस्तार करता है।

2. तदनुसार, टीआरक्यू धारक 30 सितंबर, 2026 तक उक्त टीआरक्यू के तहत आवंटित किसी भी अप्रयुक्त मात्रा को अभ्यर्पित कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें मौजूदा तौर-तरीकों के तहत यथा निर्धारित अभ्यर्पित की गई मात्रा के सीआईएफ मूल्य के 0.5% के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।
3. सार्वजनिक सूचना संख्या 27/2026-2027 दिनांक 20.08.2026 की अन्य सभी निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th September, 2026

No. 30/2026-27

Subject: Extension of timeline for surrender of unutilised TRQ quantity allocated for import of 10 Lakh MT of Raw Sugar – reg.

F. No. 01/89/180/43/AM-26/PC-2(A)/[E-47338].— In exercise of the powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, and in continuation of Public Notice No. 27/2026-2027 dated 20.08.2026, the Directorate General of Foreign Trade hereby extends the timeline prescribed under Paragraph 5 of the said Public Notice for surrender of the unutilised TRQ quantity allocated for import of Raw Sugar under TRQ.

2. Accordingly, TRQ holders may surrender any unutilised quantity allocated under the said TRQ up to 30th September, 2026, subject to payment of an amount equivalent to 0.5% of the CIF value of the surrendered quantity, as prescribed under the existing modalities.

3. All other terms and conditions of Public Notice No. 27/2026-2027 dated 20.08.2026 shall remain unchanged.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.